

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 24] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 28, 1982/माघ 8, 1903
No. 2 NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 28, 1982/MAGHA 8, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 1982

सं. 9/82 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 29(ई).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक
अभिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं. 3 की उपमद
(1) और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 96-अ द्वारा प्रदत्त शक्तियों
का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की

अधिसूचना सं. 184/81 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 5 नवम्बर, 1981 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में जोन 5 के स्तंभ 2 में "लखीमपुर" शब्द के स्थान पर "डिब्रुगढ़, लखीमपुर" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 85/1/81-सी एक्स-2]

डी. मेहता, अधीन सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 1982

No. 9/82-Central Excises

G.S.R. 29(E).—In exercise of the powers conferred by sub-item (1) of Item No. 3 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and rule 96-F of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. 184/81-Central Excises dated the 5th November, 1981 namely :—

In the Table annexed to the said notification in Zone V, in column 2, for the words "Districts of Lakhimpur", the words "Districts of Dibrugarh, Lakhimpur" shall be substituted.

[F. No. 65/1/81-CX 2]

D. MEHTA, Under Secy.